<u>न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), रामपुर।</u>

मूलवाद सं०–576/2022
रजि० सं०–583/2022
CNR No.UPRP06–000867–2022
मौ० अयाज आदि बनाम जफर।

<u>दिनांक 19–08–2023</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादीगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 19–A1 वास्ते वाद वापसी प्रस्तुत हुआ। वादीगण को प्रार्थना पत्र 19–A1 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/वादी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र 19–A1 वास्ते वाद वापसी इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण ने उपरोक्त वाद प्रतिवादी के विरूद्ध बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थापित किया था। वादीगण वर्तमान में आर्थिक रूप से मुकदमा चलाने की हैसियत में नहीं है और अपना उक्त वाद बिना शर्त वापस लेना अथवा निरस्त कराना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अब प्रतिवादी के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त वाद बिना शर्त वापिस अथवा निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा दावा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दायर किया है और उक्त वाद में वादीगण द्वारा वर्तमान में आर्थिक रूप से मुकदमा चलाने की हैसियत में नहीं होना कथन किया गया है। जिस कारण वादीगण उक्त वाद को चलाना नही चाहते हैं और वाद बिना शर्त वापस अथवा निरस्त करना चाहतें हैं। प्रार्थना पत्र के कथन शपथपत्र से समर्थित है। चूंकि वादी वाद का स्वामी होता है, अतः उसे वाद संचालन करने व न करने का पूर्ण अधिकार होता है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगता वादीगण को वाद के प्रत्याहरण की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वह समान बिषयवस्तु के बारे में कोई नया वाद संस्थित करने से प्रवारित रहेगें। प्रार्थना पत्र 19–A1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र 19–A1 स्वीकार किया जाता है। वादीगण को वाद के प्रत्याहरण की अनुमति दी जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल हो।

(अंकित राज सिंह)
सिविल जज(जू०डि०),
रामपुर।

दिनांक 19.08.2023